

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत

प्रकरण कमांक 306/2016 विशेष

संस्थापित दिनांक 19-10-2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसहाय जाटव, उम्र 26 वर्ष।

निवासी ग्राम महुरी पुरा, थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म0प्र0

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह
गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री ए0के0
गुप्ता के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0
595/2016 इ0फौ0 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क0
306/2016

//आ दे श//

//आज दिनांक 06-07-2017 को पारित//

नोट-

प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "एस" लिखा जा रहा है।

01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
02. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपी सुरेन्द्र सिंह पर दिनांक 02.09.16 को दो बजे रात्रि में फरियादिया 'एस' की लज्जाभंग करने के आशय से गृहअतिचार कारित करने एवं अभियोक्त्री के

साथ बलात्संग कारित करने के संबंध में भा.द.वि की धारा 450, 376 के अंतर्गत आरोप है।

03. संक्षेप में अभियोजन प्रकरण इस प्रकार रहा है कि घटना दिनांक 02.09.2016 को फरियादिया अपने घर पर खाट में अकेली सो रही थी रात्रि में लगभग दो बजे आरोपी सुरेन्द्र जाटव आया और बोला कि वह उससे मिलने आया है आओ गले लग जाओ। फिर फरियादिया ने कहा कि घर जाओ इतनी रात को क्यों आए हो। फिर आरोपी ने फरियादिया का ब्लाउजर फाड़ दिया और उसकी छाती दबा दी तथा उस पर गंदी नजर डालने लगा और जब फरियादिया चिल्लाई तो फरियादिया के जेठ का लडका भारत एवं उसकी पत्नी पिकी आ गई जिन्होंने घटना देखी, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। सुबह फरियादिया ने घटना अपने पति को बताई। तत्पश्चात् उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई। साथ ही अभियोक्त्री ने इस आशय के भी तथ्य रिपोर्ट में लेख कराए हैं कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था।

04. फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 109/16 दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन अंकित किए गए। फरियादिया एवं आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया, आवश्यक वस्तुओं की जप्ती की गई, तत्पश्चात् आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध कारित होना पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष भा.द. वि की धारा 376, 457, 327 भा.द.वि के अंतर्गत अभियोगपत्र दिनांक 27.09.2016 को प्रस्तुत किया गया जो कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी होने से उपर्याण उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को भेजा गया।

05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी अभियोक्त्री 'एस' अ0सा0 1, गजेन्द्र अ0सा0 2, पिकी अ0सा0 3 भारतसिंह अ0सा0 4, बाल्मीक चौबे अ0सा0 5, जगदीशचन्द्र अ0सा0 6, प्रभा तोमर अ0सा0 7 का परीक्षण कराया गया है।

06. साक्षी बाल्मीक चौबे अ0सा0 5 ने अपने परीक्षण में इस आशय कथन किए हैं कि अभियोक्त्री 'एस' ने अपने पति के साथ आकर थाने में अपने साथ छेड़ छाड़ करने एवं बलात्कार करने

संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 109/16 भा.द.वि की धारा 376, 457 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था और तत्पश्चात् विवेचना की थी तथा पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराया था।

07. साक्षी जगदीशचंद्र अ0सा0 6 ने अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् शीलबंद वस्तु जप्त किए जाने संबंधी कथन किए हैं तथा साक्षी प्रभा तोमर अ0सा0 7 के द्वारा पीडिता के धारा 161 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत कथन अंकित किए गए हैं, किन्तु यदि प्रकरण की अभियोक्त्री 'एस' अ0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई थी, उसके वालों ने किसी पुरानी रंजिश के आधार पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट कराने ले गए थे तो उसने रिपोर्ट लिखा दी थी और उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके समक्ष रखा गया है, किन्तु इसके उपरांत भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है।

08. साक्षी गजेन्द्र अ0सा0 2 जो कि अभियोक्त्री का पति है ने भी अपने कथनों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और केवल इन तथ्यों की पुष्टि की है कि उसकी पत्नी ने उसे केवल इतना बताया था कि आरोपी शराब पीकर आया था और उससे झगडा कर रहा था। इसके अलावा कोई बात नहीं बताई थी। हालांकि अभियोक्त्री का ऐसा कहना नहीं रहा है। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है, किन्तु सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथान इस साक्षी के समक्ष रखे जाने पर कोई समर्थन उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का नहीं किया गया है।

09. साक्षी पंकी अ0सा0 3 एवं भारत अ0सा0 4 जो कि अभियोजन कथानक अनुसार मौके पर आरोपी के देखे जाने के साक्षी हैं ने भी घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। इन साक्षियों ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षियों को भी पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।

10. प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जा चुके हैं। संबंधित विवेचनाधिकारी ने अपने कथनों में की गई कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु प्रकरण की अभियोक्त्री 'एस' अ0सा0 1 ने अपने साथ आरोपी के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना किये जाने से इन्कार किया है। यहाँ तक कि अभियोजन के शेष साक्षियों ने भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस स्टेज पर केवल जप्ती और गिरफ्तारी के तथ्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी को अपराध से नहीं जोड़ती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस स्टेज पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी ने अपराध किया है।

11. परिणामतः दं.प्र.सं की धारा 232 के अंतर्गत आरोपी सुरेन्द्र सिंह को आरोपित अपराध धारा 450, 376 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपी जमानत पर होने से उनके जमानत मुचलके एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

13. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

14. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

15. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)